

कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पत्रांक:- मा०शि०प०/सांख्यिकी/

दिनांक:-

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ एतद्वारा पुनः विज्ञापित किया जाता है कि “शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार” नई दिल्ली द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष 2020 में विज्ञान वर्ग में 334/500 अंक प्राप्त, वाणिज्य वर्ग में 313/500 अंक प्राप्त तथा मानविकी में 304/500 अंक प्राप्त ऐसे मेधावी छात्र/छात्राएँ जो किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होंगे, उन्हें विशेष रूप से छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की गई है।

शिक्षा मन्त्रालय के दिये गये निर्देशानुसार यू०पी० बोर्ड के(11460) छात्र/छात्राओं को विज्ञान वर्ग (युप-बी), वाणिज्य वर्ग (युप-सी) एवं मानविकी वर्ग (युप-ए) को क्रमशः 3:2:1 के अनुपात से छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। ऐसे छात्र/छात्राएँ ही आवेदन कर सकते हैं जिनकी पारिवारिक आय आठ लाख वार्षिक से अधिक न हो। पात्र छात्र/छात्राओं का विवरण “शिक्षा मन्त्रालय की वेबसाइट scholarships.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदर्शित हो रहा है।” उक्त वेबसाइट पर सभी छात्र/छात्राएँ विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 16 अगस्त, 2020 से आनलाईन आवेदन प्रारम्भ है, आवेदन की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। पात्र छात्र/छात्राएँ आनलाईन आवेदन अवश्य करें।

पूर्व वर्ष 2016,2017,2018 एवं 2019 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएँ अपनी छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु उक्त वेबसाइट पर आवेदन पत्र भरें।

छात्र/छात्राओं के आनलाईन आवेदन पत्र ही मान्य होंगे ऑफलाईन आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।

(दिव्यकान्त शुक्ल)

सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- मा०शि०प०/ सांख्यिकी/ ३ - ८

दिनांक:- ०१/०९/२०२०

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. सम्पादक/ प्रकाशक दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं आज समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया जनहित में इस विज्ञप्ति को निःशुल्क अपने दैनिक समाचार पत्र के प्रत्येक संस्करण में प्रमुखता से प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. अपर सचिव मा०शि०प०, क्षेत्रों को भरेली, वाराणसी, गोरखपुर एवं प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी अपने जनपद के स्थानीय समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही साथ कृत कार्यवाही की प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित है कि वे अपने स्तर से अपने जनपद के स्थानीय समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों को विशेष रूप से निर्देशित करें कि छात्र/छात्राओं को आवेदन पत्र भरने हेतु अवगत करायें। साथ ही साथ कृत कार्यवाही की प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित है कि अपने अधीन विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों को अवगत कराने का कष्ट करें कि उक्त विद्यालय राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के पोर्टल(NSP) पर रजिस्टर्ड करायें।
5. निदेशक तकनीकी शिक्षा, विकास नगर इंदिरा रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग जवाहर भवन छठवाँ तल अशोक मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक शिक्षा मन्त्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, वेस्ट ब्लाक-1, विंग-6 द्वितीय तल आरो के० पुरम् नई दिल्ली-110066 को सूचनार्थ प्रेषित।
8. वैयक्तिक सहायक निदेशक(मा०) एवं सभापति 18 पार्क रोड, शिविर कार्यालय लखनऊ।

(दिव्यकान्त शुक्ल)

सचिव।
Om Shanti